न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
172/2008 वादपत्र	01.10.2008	29-01-2025

उनवान

1. उदा उर्फ उदयराम वल्द मुला जी गुर्जर, निवासी मालोला तह0 व जिला भीलवाडा।

—— वादी

बनाम

1. भैरू मुतबन्ना बरदा गुर्जर, निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :—
   1/1 — कैलाश पुत्र श्री भैरू गुर्जर, निवासी कल्याणपुरा मंजरा स्वरूपगंज, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/2 — श्रीमती सुडी पत्नी भैरू गुर्जर, निवासी कल्याणपुरा मजरा स्वरूपगंज, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/3 — मेमा पुत्री भैरू गुर्जर, पत्नी श्री कालु गुर्जर, कल्याणपुरा हाल निवासी भालोटा की खेडी, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ
2. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, केवाड़ा, भीलवाड़ा राज.

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र इस्तकार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता वादी श्री नानूलाल तेली उपस्थित।

2—अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 01/1 व 01/2 की और से शिवसिंह चारण

3— प्रतिवादी संख्या 01/3 उपस्थित नहीं।

—:: निर्णय ::—

वादी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 28.03.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी भैरू मुतबन्ना बरदा गुर्जर ने ग्राम मालोला की वादग्रस्त आराजियात में से आराजी नम्बर 1365/1, 1366, 1367/1, 1370, 1517, 1518, 1519, 1603, 1604, 1608, 1609, 1609/2, 1609/4, 1612/2, 1628/2 कुल किता 15 कुल रकबा 01.7702 हैक्टेयर भूमि का विक्रय दिनांक 02.08.2021 को श्री आजाद सिंह पुत्र शंकर सिंह चौहान निवासी पीपली एवं श्री भैरूलाल पुत्र अमरचन्द माली निवासी हुर्णियाखेडा, रीछडा को विक्रय कर दिया। जिसका पंजीयन उपपंजीयक भीलवाडा के यहॉ दिनांक 02.08.2021 को करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र दौराने वाद होने से वादी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। इससे क्रेता आजाद सिंह व भैरूलाल माली को अधिकार निहित नहीं होते है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण संख्या 300/2008 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में निर्णय दिनांक 04.05.2011 से वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है कि वादग्रस्त भूमि की रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें व बेचान ताफैसला वाद नहीं करें। अतः वाद पत्र की पैरा संख्या 05 (क) एवं प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 01 (क) के रूप में जोडना चाहते है एवं क्रेता आजाद सिंह चौहान व भैरूलाल माली को प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के रूप में वाद में पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बिना जवाब दिये ही प्रार्थना पत्र की बहस समायत करने की प्रार्थना की गई है।

वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र की बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजियात में से प्रतिवादी ने ग्राम मालोला की वादग्रस्त आराजियात में से आराजी नम्बर 1365/1, 1366, 1367/1, 1370, 1517, 1518, 1519, 1603, 1604, 1608, 1609, 1609/2, 1609/4, 1612/2, 1628/2 कुल किता 15 कुल रकबा 01.7702 हैक्टेयर भूमि का विक्रय दिनांक 02.08.2021 को श्री आजाद सिंह पुत्र शंकर सिंह चौहान निवासी पीपली एवं श्री भैरूलाल पुत्र अमरचन्द माली निवासी हुर्णियाखेडा, रीछडा को विक्रय कर दिया। जिसका पंजीयन उपपंजीयक भीलवाडा के यहॉ दिनांक 02.08.2021 को करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र दौराने वाद होने से वादी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। इससे क्रेता आजाद सिंह व भैरूलाल माली को अधिकार निहित नहीं होते है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण संख्या 300/2008 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में निर्णय दिनांक 04.05.2011 से वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अंस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है कि वादग्रस्त भूमि की रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें व बेचान ताफैसला वाद नहीं करें। अतः वाद पत्र की पैरा संख्या 05 (क) एवं प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 01 (क) के रूप में जोडना चाहते है एवं क्रेता आजाद सिंह चौहान व भैरूलाल माली को प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के रूप में वाद में पक्षकार बनाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी भैरू आत्मज मूला गुर्जर गोदपुत्र बरदा लाल गुर्जर निवासी मालोला ने आजादसिंह चौहान व भैरूलाल माली को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2021 से वादग्रस्त आराजियात कुल किता 15 रकबा 1.7702 हैक्टेयर भूमि का विक्रय कर दिया है। उक्त विक्रय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 300/2008 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में दिनांक 04.05.2011 को अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध विपक्षी ताफैसला वाद बेचान नहीं करने की जारी की गई।

वादी उदा एवं प्रतिवादी भैरू ने संयुक्त आराजी का सहमति से विभाजन दिनांक 19.05.2008 को करवाया गया। प्रतिवादी भैरू के वारिसान के इस विभाजन आदेश दिनांक 19.05.2008 की अपील प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 56 सी0पी0सी0 का व धारा 05 मियाद अधिनियम का न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में प्रस्तुत कर स्वीकृति चाही। अपील न्यायालय ने प्रकरण संख्या 113/2022 दर्ज कर सुनवाई कर दिनांक 21.06.2023 को अपीलार्थीगण के दोनो प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। अपील न्यायालय के प्रकरण संख्या 113/2022 निर्णय दिनांक 21.06.2023 के विरूद्ध उदा उर्फ उदयराम पुत्र मूला गुर्जर निवासी मालोला ने निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई। निगरानी प्रकरण संख्या 3428/2023 में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निर्णय दिनांक 18.12.2024 से निगराकार की निगरानी स्वीकार कर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 21.06.2023 को अपास्त कर दिया गया। इस प्रकार प्रतिवादी भैरू के वारिसान को सहमति विभाजन दिनांक 19.05.2008 के विरूद्ध अपील की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजियात का प्रतिवादी भैरू आत्मज मूला गुर्जर गोदपुत्र बरदालाल गुर्जर निवासी मालोला के द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 04.05.2011 की अवहेलना करते हुये वादग्रस्त आराजियात का विक्रय श्री आजाद सिंह चौहान एवं श्री भैरूलाल माली को किया गया जो विधि सम्मत् नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी/विपक्षी ने प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि उक्त उनवान वादपत्र मे वादी द्वारा मूल रूप से यंह अंकन करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया कि "प्रतिवादी उदा जो कि मूला का पुत्र है, जो बरदा के गौद चले जाने से बरदा के खाते की शामलाती आराजियात में प्रतिवादी भैरू के नाम पर अभिलिखित हो चुकी है लेकिन कागजो मे मूला के परिवार में वादी उदा उर्फ उदयराम के साथ साथ प्रतिवादी भैरू का नाम अभिलिखित है। जबकि प्रतिवादी भैरू बरदा के यंहा गौद चला गया है। इस कारण प्रतिवादी भैरू का नाम मूला के परिवार मे से अर्थात वादी उदयराम उर्फ उदा के साथ साथ इन्द्राजित इन्द्राज को हटाया जाना आवश्यक है।" हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 एवं 14 मे स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी पैतृक सम्पति जो कि किसी व्यक्ति को गोद जाने से पूर्व ही प्राप्त हो चुकी है, तो मात्र गोद चले जाने से उसे उस सम्पति से निमुक्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात धारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 'ग' के प्रावधानो के अनुसार कोई सम्पति पहले से ही निहित होने पर बाद में दत्तक लेने के कारण विमुक्त नही हो सकती है।

इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 नियम में स्पष्ट कथन है कि जंहा वादपत्र में कहे वचन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो वादपत्र को नामंजूर किया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी को जो सम्पति अपने पिता से प्राप्त हुई है वो प्रतिवादी के गौद चले जाने से पूर्व ही प्राप्त हुई है, अतएवं मामले में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 लागु होती है और वादी द्वारा जी वादपत्र में अनुतोष चाहा है और जो वादपत्र मे ईबारत अंकित करवायी है वो धारा 12 के विरूद्ध है। इस कारण वादी का वाद बार्ड बाई लो होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र/प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने के आधार पर निरस्त कराया जावें।

प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का जवाब वादी की और से प्रस्तुत कर अंकित किया है कि कलम संख्या 02 लगावत 04 में प्रतिवादी ने कानुनी एतराजात् जानबुझकर न्यायालय को भ्रमित करने के दुराशय से निराधार उठाये है अलबत्ता प्रतिवादी मात्र प्रकरण जो काफी समय से साक्ष्य में लंबित है, में गवाह वादी से जिरह न कर प्रकरण को लंबा करने के दुराशय से यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। इसके अलावा यहाँ यह लिखना भी प्रासंगिक है कि आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान अनुसार भी न्यायालय को मात्र वादी के वाद की ही प्लीडींग देखनी है जिस अनुसार वादी का वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का होकर न्यायालय आप के समायत योग्य है और कोई किसी प्रकार से विधी द्वारा वर्जित नहीं है । इस आधार पर भी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है । यहाँ यह लिखना भी सुसंगत है कि प्रतिवादी द्वारा उठाये गये ऐतराज साक्ष्य का विषय है, जिस आधार पर कोई भी न्यायालय पक्षकारों की साक्ष्य पत्रावली पर लेखबद्ध करने के उपरान्त ही किसी निष्कर्ष पर पहुँच निर्णय पारित कर सकता है । इसके अलावा प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र कोई किसी प्रकार से आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में दिये गये कानुनी प्रावधानानुसार की परिधी में नहीं आता है । इस अहम कानुनी बिन्दु के आधार पर भी प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है । अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी कानूनन किसी कदर पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी/विपक्षी के प्रार्थना पत्र आदेश – 07 – नियम 11 जा0दी0 पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी/विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त ग्राम मालोला की आराजियात मूला पिता कालू गुर्जर की विरासत से उदा, भैरू के नाम दर्ज हुई इसके पश्चात् मूला के भाई बरदा के कोई सन्तान नहीं होने से भैरू को बरदा के गोद रखा गया है वादग्रस्त पैतृक आराजियात भैरू गोद जाने से पूर्व ही भैरू के नाम दर्ज हो चुकी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 व 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी पैतृक सम्पति जो किसी व्यक्ति को गोद जाने से पूर्व ही प्राप्त हो चुकी तो मात्र गोद चले जाने से उसे उस सम्पति से विमुक्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाये।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश – 07 – नियम 11 जा0दी0 की बहस में तबया कि वादी का वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है जो किसी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नहीं है प्रतिवादी द्वारा उठाये गये ऐतराज साक्ष्य का विषय है न्यायालय पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध करने पर ही निष्कर्ष पर पहूँच कर निर्णय पारित कर सकता है प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश – 07 – नियम 11 जा0दी0 में दिये गये कानूनी प्रावधानुसार परिधि में नहीं आता है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश – 07 – नियम 11 जा0दी0 खारिज किया जाये।

प्रतिवादी/विपक्षी के प्रार्थना पत्र आदेश – 07 – नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं इस प्रार्थना पत्र के वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त ग्राम मालोला तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1601, 1363, 1365 से लगायत 1367, 1370, 1371, 1517 से लगायत 1519, 1522, 1604, 1608 से लगायत 1612, 1628 कुल किता 25 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा भूमि उदा, भैरू पिता मूला व अन्य व्यक्तियों के संयुक्त खातेदारी दर्ज है। मूला के भाई बरदा के कोई नर संतान नहीं होने से मूला का पुत्र भैरू को गोद रखा गया। मूला की विरासत में उदा, भैरू का नाम दर्ज होने के पश्चात् भैरू बरदा के गोद गया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 व 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी पैतृक सम्पति जो किसी व्यक्ति को गोद जाने से पूर्व ही प्राप्त हो चुकी तो मात्र गोद चले जाने से उसे उस सम्पति से विमुक्त नहीं किया जा सकता है। वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश – 07 – नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

वादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 का खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी/ विपक्षी का प्रार्थना पत्र आदेश – 07 – नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र इस्तकार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1601, 1363, 1365 से लगायत 1367, 1370, 1371, 1517 से लगायत 1519, 1522, 1604, 1608 से लगायत 1612, 1628 कुल किता 25 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय से खारिज किया जाता है कि मूला के भाई बरदा के कोई नर संतान नहीं होने से मूला का पुत्र भैरू को गोद रखा गया। मूला की विरासत में उदा, भैरू का नाम दर्ज होने के पश्चात् भैरू बरदा के गोद गया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 व 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी पैतृक सम्पति जो किसी व्यक्ति को गोद जाने से पूर्व ही प्राप्त हो चुकी तो मात्र गोद चले जाने से उसे उस सम्पति से विमुक्त नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने से आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी करें।

(दिनेश सिंह राठौड़ावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 172/2008 वादपत्र | दायर दिनांक 01.10.2008 | निर्णय दिनांक 29.01.2025

1. उदा उर्फ उदयराम वल्द मुला जी गुर्जर, निवासी मालोला तह0 व जिला भीलवाडा।

उनवान

–– वादी

बनाम

1. भैरू मुतबन्ना बरदा गुर्जर, निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :–
   1/1 – कैलाश पुत्र श्री भैरू गुर्जर, निवासी कल्याणपुरा मजरा स्वरूपगंज, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/2 – श्रीमती सुडी पत्नी भैरू गुर्जर, निवासी कल्याणपुरा मजरा स्वरूपगंज, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/3 – मेमा पुत्री भैरू गुर्जर, पत्नी श्री कालु गुर्जर, कल्याणपुरा हाल निवासी भालोटा की खेडी, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ
2. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, केवाड़ा, भीलवाड़ा राज.

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र इस्तकार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

उपस्थित :–
1–अधिवक्ता वादी श्री नानूलाल तेली उपस्थित।
2–अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 01/1 व 01/2 की और से शिवसिंह चारण
3– प्रतिवादी संख्या 01/3 उपस्थित नहीं।

वादी की और से अधिवक्ता श्री नानूलाल तेली उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01/1 से लगायत 1/2 की और से श्री शिवसिंह चारण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1/3 उपस्थित नहीं। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 29.01.2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

वादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 का खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी/ विपक्षी का प्रार्थना पत्र आदेश – 07 – नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र इस्तकार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1601, 1363, 1365 से लगायत 1367, 1370, 1371, 1517 से लगायत 1519, 1522, 1604, 1608 से लगायत 1612, 1628 कुल किता 25 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय से खारिज किया जाता है कि मूला के भाई बरदा के कोई नर संतान नहीं होने से मूला का पुत्र भैरू को गोद रखा गया। मूला की विरासत में उदा, भैरू का नाम दर्ज होने के पश्चात् भैरू बरदा के गोद गया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 व 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी पैतृक सम्पति जो किसी व्यक्ति को गोद जाने से पूर्व ही प्राप्त हो चुकी तो मात्र गोद चले जाने से उसे उस सम्पति से विमुक्त नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने से आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा